

जिला मंडल में मध्याह्न भोजन द्वारा सम्पूरित स्कूल जाने वाली लड़कियों की पोषण स्थिति का अध्ययन

Dr. Anjana Nema¹, Mrs. Shruti Singh²

¹Associate Professor, Department of Home Science,

Govt. Autonomous Girls Pg College of Excellence, Sagar, Madhya Pradesh, India

²Assistant Professor, Department of Home Science,

Govt. M.H. College of Home Science & Science for Women, Jabalpur, Madhya Pradesh, India

सार

अधिक लड़कियों के नामांकन और अधिक लड़कियों की नियमित उपस्थिति के संबंध में स्कूल भागीदारी पर मध्याह्न भोजन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अधिकतर बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते हैं। जो बच्चे स्कूल आने से पहले भोजन करते हैं उन्हें भी दोपहर तक भूख लग आती है और वे अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाते हैं। मध्याह्न भोजन लड़कियोंके लिए "पूरक पोषण" के स्रोत और उनके स्वस्थ विकास के रूप में भी कार्य कर सकता है। यह समतावादी मूल्यों के प्रसार में भी सहायता कर सकता है क्योंकि कक्षा में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे साथ में बैठते हैं और साथ-साथ खाना खाते हैं। विशेष रूप से मध्याह्न भोजन स्कूल में लड़कियोंके मध्य जाति व वर्ग के अवरोध को मिटाने में सहायता कर सकता है। स्कूल की भागीदारी में लैंगिक अंतराल को भी यह कार्यक्रम कम कर सकता है क्योंकि यह बालिकाओं को स्कूल जाने से रोकने वाले अवरोधों को समाप्त करने में भी सहायता करता है। मध्याह्न भोजन स्कीमलड़कियोंके ज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास में मदद करती है। सुनियोजित मध्याह्न भोजन को लड़कियोंमें विभिन्न अच्छी आदतें डालने के अवसर के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। यह स्कीम महिलाओं को रोजगार के उपयोगी स्रोत भी प्रदान करती है।

मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त, 1995 को आरंभ की गई थी। वर्ष 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केन्द्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले लड़कियोंतक कर दिया गया। अक्टूबर, 2007 से इसका देश के शैक्षणिक रूप से

पिछड़े 3479 ब्लॉकों में कक्षा VI से VIII में पढ़ने वाले लड़कियोंतक विस्तार कर दिया गया है। वर्ष 2008-09 से यह कार्यक्रम देश के सभी क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले सभी लड़कियोंके लिए कर दिया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों को भी प्रारंभिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत 01.04.2010 से शामिल किया गया है।

कार्यक्रम के उद्देश्य

इस स्कीम के लक्ष्य भारत में अधिकांश लड़कियोंकी दो मुख्य समस्याओं अर्थात् भूख और शिक्षा का इस प्रकार समाधान करना है:-

1. सरकारी स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और ईजीएस व एआईई केन्द्रों तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में कक्षा I से VIII के लड़कियोंके पोषण स्तर में सुधार करना
2. लाभवंचित वर्गों के गरीब लड़कियोंको नियमित रूप से स्कूल आने और कक्षा के कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करने में सहायता करना, और
3. ग्रीष्मावकाश के दौरान अकाल-पीडित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के लड़कियोंको पोषण सम्बन्धी सहायता प्रदान करना।

परिचय

केन्द्रीय सहायता के संघटक

इस समय मध्याह्न भोजन स्कीम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करती है:-

1. प्राथमिक कक्षाओं के लड़कियोंके लिए 100 ग्राम प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस की दर से और उच्च प्राथमिक

- कक्षाओं के लड़कियोंके लिए 150 ग्राम प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस की दर से भारतीय खाद्य निगम के निकटस्थ गोदाम से निःशुल्क खाद्यान्न (गेहूं/चावल) की आपूर्ति। केन्द्र सरकार भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न की लागत की प्रतिपूर्ति करती है।
2. 11 विशेष श्रेणी वाले राज्यों (अर्थात-अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्ड और त्रिपुरा) के लिए दिनांक 1.12.2009 से इनमें प्रचलित पी.डी.सी. दरों के अनुसार परिवहन सहायता। अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 75/-रु. प्रति क्विंटल की अधिकतम सीमा के अधीन भारतीय खाद्य निगम से प्राथमिक स्कूल तक खाद्यान्न के परिवहन में हुई वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति।[1,2,3]
 3. दिनांक 1.12.2009 से भोजन पकाने की लागत (श्रम और प्रशासनिक प्रभार को छोड़कर) प्राथमिक लड़कियोंके लिए 2.50 रूपए की दर से और उच्च प्राथमिक लड़कियोंके लिए 3.75 रूपए की दर से प्रदान की जाती है और दिनांक 1.4.2010 तथा दिनांक 1.4.2011 को इसे पुनः 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाया गया। 1 जुलाई 2016 से इन दरों में फिर से परिवर्तन किया गया है। और परिवर्तित दरें नीचे टेबिल में दी गई हैं। भोजन पकाने की लागत की केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य हिस्सेदारी 90:10 के आधार पर है और अन्य राज्यों/संघ राज्यों के साथ 60:40 के आधार पर वहन की जाएगी।
 4. भोजन पकाने की लागत में दालों, सब्जियों, भोजन पकाने के तेल और मिर्च-मसालों, ईंधन इत्यादि की लागत शामिल है।
 5. पूरे देश में किचन-कम-स्टोर के निर्माण की प्रति विद्यालय 60,000 रूपएकी एक समान दर के स्थान पर दिनांक 1.12.2009 से निर्माण लागत को कुरसी क्षेत्र मानदण्डों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचलित राज्य अनुसूची दरों के आधार पर निर्धारित किया जाना है। किचन-कम-स्टोर की निर्माण लागत की हिस्सेदारी केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य 90:10 आधार पर तथा अन्य राज्यों के साथ 60:40 के आधार पर की जाएगी। इस विभाग ने दिनांक 31.12.2009 के अपने पत्र संख्या 1-1/2009-डेस्क (एम.डी.एम.) के जरिए 100 लड़कियोंतक स्कूलों में किचन-कम-स्टोर के निर्माण हेतु 20 वर्ग मी० का क्षेत्र निर्धारित किया है। प्रत्येक अतिरिक्त 100 लड़कियोंतक के लिए 4 वर्ग मीटर अतिरिक्त कुरसी क्षेत्र जोड़ा जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी स्थानीय दशाओं के आधार पर 100 लड़कियोंके स्लैब को संशोधित करने का अधिकार होगा।
 6. 5000 रूपए प्रति विद्यालय की औसत लागत के आधार पर किचन के सामान प्राप्त करने के लिए सहायता दी जाती है। किचन के सामान में निम्नलिखित शामिल हैं:-
 - भोजन पकाने का सामान (स्टोव, चूल्हा इत्यादि)[4,5,6]
 - खाद्यान्न और अन्य सामान को स्टोर करने के लिए कंटेनर
 - भोजन पकाने और वितरित करने के बर्तन।
 7. दिनांक 1.12.2009 से रसोइये-कम-सहायक को प्रदान किए जाने वाले मानदेय को 1000 रूपए प्रतिमाह करना और 25 विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में एक रसोइये-कम-सहायक, 26 से 100 विद्यार्थी वाले विद्यालयों में दो रसोइये-कम-सहायक और अतिरिक्त प्रत्येक 100 विद्यार्थियों तक के लिए एक अतिरिक्त रसोइये-कम-सहायक की नियुक्ति करना। रसोइये-कम-सहायक को प्रदान किए जाने वाले मानदेय के लिए केन्द्र सरकार और राज्यों के मध्य हिस्सेदारी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 75:25 के आधार पर होगी।
 8. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इस स्कीम के प्रबंधन, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन (एम.एम.ई.) के लिए सहायता (क) खाद्यान्न, (ख) परिवहन लागत और (ग) भोजन पकाने की लागत (घ) रसोइया-सह-सहायक को मानदेय के लिए कुल सहायता का 1.8 प्रतिशत, (क)खाद्यान्न, (ख) परिवहन लागत और (ग) भोजन पकाने की लागत (घ) रसोइया-सह-सहायक को मानदेय की कुल सहायता के 0.2 प्रतिशत का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधन, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

अद्यतन स्थिति

गैर सरकारी संगठनों को (एनजीओ) आउट सोर्स करना[7,8,9]

शहरी क्षेत्रों में विद्यालय प्रांगणों में जहां गैर सरकारी संगठनों/ट्रस्टों/केंद्रीयकृत रसोइयों जो कि लड़कियोंको भोजन उपलब्ध कराने में संलग्न हैं, के लिए रसोई-सह-भंडार के लिए स्थान नहीं है। इस महत्वपूर्ण योजना में मिड डे मील की आपूर्ति को गैर सरकारी संगठनों को (एनजीओ) आउट सोर्स किया गया है।

मिड डे मील के दिशा निर्देश पंचायतीराज संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों, माता संगठनों और स्थानीय समाज की सहायता से मिड डे मील को रसोइये-सह-सहायक की सहायता से स्कूल के रसोई-सह-भंडार में पकाने पर जोर देते हैं। वर्तमान वर्ष 2013-14 में देश भर में इस कार्यक्रम में 447 गैर सरकारी संगठन संलग्न हैं। इस कार्यक्रम में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में क्रमशः 185 और 102 है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत संलग्न गैर सरकारी संगठनों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के संबंध में एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि मिड डे मील दिशा निर्देशों के अनुसार संलग्न गैर सरकारी संगठनों के मानदण्ड निम्न प्रकार है--

1. गैर सरकारी संगठन को आपूर्ति कार्य आवंटित करने का निर्णय सरकार द्वारा अधिकारित संस्था लेगी जैसे ग्राम पंचायत, वीईसी/एसएमसी/पीटीए, म्युनिसिपल कमिटी/कॉरपोरेशन आदि। एजेंसी को सोसायटी एक्ट के तहत अथवा सार्वजनिक ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत होना चाहिए और यह कम से कम पिछले दो वर्षों से अस्तित्व में होनी चाहिए। इसके पास समूचित रूप से गठित प्रबंधक/प्रशासकीय ढांचा होना चाहिए, जिसके कार्यों और अधिकारों इसके संविधान में स्पष्ट उल्लेख हो।
2. गैर सरकारी संगठन और स्थानीय निकाय[10,11,12] के मध्य होने वाले अनुबंध/समझौते में पक्षों का उत्तरदायित्व और प्रदर्शन न करने पर उनके प्रतिफल परिभाषित होने चाहिए। लड़कियोंके लिए गैर सरकारी संगठन द्वारा आपूर्ति किए जा रहे भोजन की मात्रा और गुणों की जांच और निरीक्षण की सख्त व्यवस्था का होना भी इसमें शामिल होना चाहिए।
3. चयनित मिड डे मील आपूर्तिकर्ता बगैर किसी लाभ के आधार पर आपूर्ति करेगा और कार्यक्रम अथवा उसके किसी सहायक हिस्से का उप ठेका किसी अन्य को नहीं सौंपेगा।

4. इस प्रकार की मिड डे मील योजनाओं में संलग्न गैर सरकारी संगठन के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष एक विश्वसनीय मूल्यांकन व्यवस्था के माध्यम से होना चाहिए। गैर सरकारी संगठन के साथ हुए समझौते का अगले वर्ष के लिए नवीनीकरण वर्तमान वर्ष में उसके प्रदर्शन के संतोषजनक पाए जाने पर निर्भर होना चाहिए।

मध्याह्न भोजन योजना का नवीनीकरण

बारहवीं योजना के दौरान मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) का निम्न प्रकार से सुधार करने का प्रस्ताव है:-

- (मध्याह्न भोजन योजना का जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों के गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में विस्तार।
- प्राथमिक विद्यालयों की परिसरों में स्थित पूर्व-प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले लड़कियोंके लिए भी इस योजना का विस्तार।
- मौजूदा घटकों या स्कूलों के लिए सहायता के तौर तरीकों का संशोधन।
- मध्याह्न भोजन मूल्य सूचकांक का विशेष रूप से मध्याह्न भोजन की वस्तुओं के मूल्य पर आधारित खाने की लागत का संशोधन।
- उत्तर-पूर्वी प्रदेश (एनईआर) को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए माल वहन सहायता का संशोधन। इसका 75 रुपये प्रति क्विन्टल की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर 150 रुपया प्रति क्विन्टल की गई है।[13,14]
- वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान रसोइया-सहायकों का मानदेय 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपया और वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान रसोइया-सहायक का मानदेय 2000 रुपये प्रति माह किया गया है।
- खाद्यान्न लागत, खाना पकाने की लागत, माल वहन सहायता तथा रसोइया-सहायक को मिलने वाले मानदेय के लिए कुल पुनरावर्ती केन्द्रीय सहायता के तीन प्रतिशत की दर से प्रबंधन निगरानी और मूल्यांकन दरों का संशोधन।
- नये स्कूलों के लिए किचन की बर्तन खरीदने और हर पांच साल बाद किचन के बर्तनों को बदलने के लिए

15000 रुपये प्रति स्कूल की दर से केन्द्रीय सहायता की पद्धति का संशोधन। सहायता की यह राशि केन्द्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात से और उत्तर-पूर्वी प्रदेश के राज्यों में 90:10 के अनुपात से वहन की जाएगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और मध्याह्न भोजन योजना का एकीकरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ समन्वय के उद्देश्य से सभी राज्यों के शिक्षा विभागों को लिखा है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम केंद्र सरकार की नई पहल है जिसका उद्देश्य जन्म से 18 वर्ष की आयु के लड़कियोंकी जांच और प्रबंध करना है। इसके तहत जन्म के समय त्रुटियों, कमियों, बीमारियों, बच्चे के विकास में देरी सहित विकलांगता का प्रबंध करना भी शामिल है।

मिड डे मील योजना में सुधार

देशभर में राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों में मिड डे मील योजना के अंतर्गत 25.70 लाख रसोईया-सहायकों को काम दिया गया। इन सहायकों को इस कार्य के लिए मानदेय को संशोधित कर 01 दिसंबर, 2009 से एक हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया तथा साल में कम से कम दस महीने कार्य दिया गया। इस कार्य के लिए रसोईया-सहायको को दिए जाने वाले मानदेय का खर्च केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच 90:10 के औसत में उठाया गया, जबकि अन्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों तथा केन्द्र के बीच यह औसत 60:40 तय किया गया। यदि राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश चाहे तो इस कार्य में किए जाने वाले खर्च में योगदान निर्धारित अनुपात से अधिक भी कर सकते हैं।

विचार-विमर्श

पोषण अभियान (तत्कालीन राष्ट्रीय पोषण मिशन) 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य एक समन्वित और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर समयबद्ध तरीके से किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं[15,16,17] और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार हासिल करना है। यह अभियान सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में शुरू किया गया है।

इस योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित राज्य/केंद्र

शासित प्रदेश-वार जारी किए गए धन का विवरण संलग्न है।

पीएम-पोषण योजना (मध्याह्न भोजन योजना) शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कक्षा I-VIII में पढ़ने वाले या 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे स्कूल की छुट्टियों को छोड़कर, हर दिन एक मध्याह्न भोजन निःशुल्क पाने के हकदार हैं। सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ताकि अधिनियम में निर्दिष्ट पोषण मानकों को पूरा किया जा सके। तदनुसार, सरकार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना लागू कर रही है। शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह योजना पूरे देश में लागू की गई है और इसमें 10.84 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बाल वाटिका (कक्षा I से ठीक पहले) और कक्षा I-VIII के 12.16 करोड़ बच्चे शामिल हैं।

योजना का प्राथमिक उद्देश्यलड़कियोंकी पोषण स्थिति में सुधार करना, उन्हें कक्षाओं में अधिक नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करना और सीखने की गतिविधियों पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना है।

इसके अलावा, सरकार ने पांच साल से कम उम्र के बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी है और मिशन पोषण 2.0 के तहत पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाओं, किशोर लड़कियों के लिए योजना जैसी कई योजनाएं लागू कर रही है। मिशन शक्ति के तहत प्रधान मंत्री मातृवृंदना योजना (पीएमएमवीवाई), इस मुद्दे के समाधान के लिए प्रत्यक्ष लक्षित हस्तक्षेप के रूप में।

पोषण संबंधी परिणामों को अधिकतम करने के लिए, हाल ही में आंगनवाड़ी सेवाओं (पूर्ववर्ती आईसीडीएस योजना), किशोरियों के लिए योजना और पोषण अभियान को 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' (मिशन पोषण 2.0) के तहत फिर से संरेखित किया गया है। इसका उद्देश्य पोषण सामग्री और वितरण में रणनीतिक बदलाव के माध्यम से बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना और स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा का

पोषण करने वाली प्रथाओं को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए एक अभिसरण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। पोषण 2.0 मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार मानदंड, एमएएम/एसएएम के उपचार और आयुष के माध्यम से कल्याण पर केंद्रित है। सेवाओं के त्वरित पर्यवेक्षण और प्रबंधन के लिए पूरक पोषण के प्रावधान की निगरानी के संबंध में प्रशासन में सुधार के लिए एक मजबूत आईसीटी सक्षम मंच 'पोषण ट्रैकर' के तहत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है।

पोषण 2.0 के तहत, आहार विविधता, ज्ञान की पारंपरिक प्रणालियों का लाभ उठाने और बाजरा के उपयोग को लोकप्रिय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पोषण 2.0 के तहत पोषण जागरूकता रणनीतियों का उद्देश्य आहार संबंधी अंतराल को पाटने के लिए क्षेत्रीय भोजन योजनाओं के माध्यम से स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण विकसित करना है। इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं [18,19] और 6 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्म पका हुआ भोजन और टेक होम राशन (कच्चा राशन नहीं) तैयार करने के लिए बाजरा (मोटे अनाज) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है। महिलाओं और लड़कियों में एनीमिया और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए इसमें उच्च पोषक तत्व होते हैं। मिशन पोषण 2.0 के पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को केवल फोर्टिफाइड चावल आवंटित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015-16 (एनएफएचएस-4) में किए गए सर्वेक्षण के दो दौरों के बीच 5 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों और महिलाओं के पोषण संकेतकों में सुधार हुआ है।) और 2019-21 (NFHS-5)। एनएफएचएस-4 में स्टंटिंग की व्यापकता 38.4% से घटकर एनएफएचएस-5 में 35.5% हो गई है, बर्बादी 21.0% से घटकर 19.3% हो गई है और कम वजन 35.8% से घटकर 32.1% हो गई है। इसके अलावा, महिलाओं (15-49 वर्ष) में कम वजन की व्यापकता एनएफएचएस-4 में 22.9% से घटकर एनएफएचएस-5 में 18.7% हो गई है।

इसके अलावा, मिशन पोषण 2.0 के लिए आईसीटी एप्लिकेशन, पोषण ट्रैकर में दर्ज आंकड़ों के अनुसार, जून

2023 में देश में करीब 7 करोड़ लड़कियों का आकलन किया गया, जिसके अनुसार, 7% कमजोर थे और 19% कम वजन के थे, जो एनएफएचएस संकेतकों से काफी कम हैं।

मध्याह्न भोजन लड़कियों को पोषण सुरक्षा जाल प्रदान करता है और उनके अधिगम परिणामों तथा स्कूलों में उनकी उपस्थिति में सुधार लाता है। निकिता शर्मा तर्क देती हैं कि मध्याह्न भोजन प्राप्त करने वाले लड़कियों की माताओं को भी इसके 'स्पिलओवर' लाभ मिल सकते हैं। वह शोध के निष्कर्षों पर प्रकाश डालती हैं जो यह दर्शाते हैं कि मध्याह्न भोजन लड़कियों में कुपोषण को दूर करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करता है कि पोषण में कमी के दौरान लड़कियों को खिलाने के लिए माताओं को अपना आहार त्यागने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

माँ और उसके बच्चे के स्वास्थ्य का आपस में गहरा संबंध होता है। बच्चे अपनी पोषण संबंधी जरूरतों के लिए अपनी माताओं पर सबसे अधिक निर्भर होते हैं। नवजात शिशुओं के रूप में और देखभाल किए जाने वाले बच्चों, दोनों के रूप में। भारत में, माँ के कद या लम्बाई और उसकी शैक्षिक उपलब्धि का उसके लड़कियों के वृद्धिरोध या स्टंटिंग स्तर के साथ मजबूत आपसी संबंध है (किम एवं अन्य 2017)। फिर भी, भारतीय परिवारों के पारिवारिक रहन-सहन में सामाजिक-सांस्कृतिक अपेक्षाएं, संस्कार, या मानदंड परिवार के आर्थिक झटके के प्रभाव को कम करने के लिए माताओं को अपने आहार को छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यह स्थिति कोविड-19 महामारी और उससे उपजी खाद्य असुरक्षा के दौरान बहुत अधिक बढ़ गई थी (कपूर 2022)। [20]

सबसे हालिया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-2021) से पता चलता है कि 15 से 49 वर्ष आयु की महिलाओं में रक्ताल्पता यानी एनीमिया की घटनाएं पिछले सर्वेक्षण (2015-16) के 53.1% की तुलना में बढ़कर 57% हो गई हैं। जैसा कि अपेक्षित था, इसके चलते पांच साल तक के लड़कियों में एनीमिया के प्रसार में वृद्धि हो गई है जो 58.6% से बढ़कर 67.1% हो गया है। इसी सर्वेक्षण के अनुसार, पांच वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे अविकसित या स्टंटेड हैं, 19.3% कमजोर या वेस्टेड हैं और 32.1% बच्चे कम वजन के हैं¹। मई 2022 में, यूनिसेफ ने इस तथ्य से सचेत किया था कि भारत में विश्व में सबसे अधिक कुपोषित बच्चे हैं और देश में पांच

वर्ष से कम आयु के 5,772,472 बच्चे गंभीर रूप से कमज़ोर हैं।

वर्ष 1995 में, कुछ चुनिंदा राज्यों में लागू करने के बाद, भारत में मध्याह्न भोजन योजना (अब प्रधानमंत्री-पोषण योजना के नए नाम से लागू) आधिकारिक तौर पर शुरू की गई थी। वर्ष 2001 तक, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने सरकारी और सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया था कि वे सभी लड़कियोंको कम से कम 450 कैलोरी (kcal) और 12 ग्राम प्रोटीन-युक्त पका हुआ भोजन मुफ्त में प्रदान करें। अनुमानित 11 करोड़ 80 लाख बच्चे इस कार्यक्रम के दायरे में आते हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा स्कूल पोषणाहार कार्यक्रम है। यह नीति मुख्य रूप से लड़कियोंके कुपोषण को दूर करने के लिए तैयार की गई थी पर दशकों से किए गए शोध ने इसके कई 'स्पिलओवर' लाभों का पता लगाया है।

लड़कियोंके कुपोषण के एक नीतिगत समाधान के रूप में स्कूल का भोजन

किए गए शोध ने दर्शाया है कि कार्यक्रम प्रतिभागियों के दैनिक पोषणाहार में 49% की वृद्धि और लड़कियोंमें प्रोटीन, कैलोरी और आयरन की कमी (अफरीदी 2010) में गिरावट आई है। मध्याह्न भोजन तैयार करने में 'डबल-फोर्टिफाइड' नमक का उपयोग करने से लड़कियोंमें होने वाले एनीमिया में कमी आई (क्रामर एवं अन्य 2018)। लड़कियोंके प्रारंभिक वर्षों के कुपोषण के संदर्भ में भरपाई या 'कैच-अप' वृद्धि और क्षतिपूर्ति (सिंह एवं अन्य 2014) और विशेष रूप से लड़कियों की स्कूल उपस्थिति में वृद्धि और समय के साथ उनके गणित और पठन अधिगम के परिणामों में सुधार के प्रमाण मिलते हैं (अफरीदी 2009, चक्रवर्ती और जयरामन 2019)। नीतिगत दृष्टिकोण से, मध्याह्न भोजन न केवल लड़कियोंके स्वास्थ्य और शिक्षा की सुरक्षा करके उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करता है, बल्कि वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं को रोजगार भी प्रदान करता है और सामुदायिक खान-पान के माध्यम से सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देता है (सिंह एवं अन्य 2014)। ये लाभ न केवल वयस्क होने पर लड़कियोंके जीवन में, [21]बल्कि व्यापक समुदाय में भी स्थायी परिवर्तन लाने में सहायक हो सकते हैं।

लाभों का विस्तार और माताओं को अपरोक्ष लाभ मिलना हाल ही के एक अध्ययन ने मध्याह्न भोजन योजना के अंतर-पीढ़ीगत लाभों को दर्शाया है- जिन माताओं को

मध्याह्न भोजन योजना के पोषण संबंधी सहायता का लाभ मिला, उन्होंने उम्र के हिसाब से अधिक ऊंचाई के ज़ेड-स्कोर² वाले लड़कियोंको जन्म दिया (चक्रवर्ती और अन्य 2021)। उन्होंने पाया कि जिन राज्यों में वर्ष 2005 में मध्याह्न भोजन योजना का अधिक कवरेज था, उन राज्यों में वर्ष 2016 में अविकसित या स्टंटेड बच्चे (पांच वर्ष की आयु तक के) कम थे। निचली सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों की ऐसी माताओं को सबसे अधिक 'कैरीओवर' लाभ मिलता देखा गया जिन्हें उनके बचपन में मध्याह्न भोजन योजना का लाभ मिला था। इसके अतिरिक्त, शोधकर्ता मानते हैं कि वर्ष 2006 और 2016 के बीच भारत में औसत आयु के अनुरूप ऊंचाई, ज़ेड-स्कोर में 13-32% का लाभ मध्याह्न भोजन योजना के कारण मिला।

मध्याह्न भोजन के एक और लाभ का पता इसकी अनुपस्थिति से चलता है। जहाँ परिवारों में भोजन की कमी और वित्तीय बाधाओं की परिस्थितियां हैं और माताओं के पास अपने लड़कियों(और अन्य आश्रित सदस्यों) की प्राथमिक देखभाल करने वालों के रूप में बहुत कम विकल्प होते हैं, वहां माताओं को पोषण में कमी को सहना पड़ता है। और कमी के समय में माताएँ अपने स्वास्थ्य की स्थिति या पोषण की परवाह किए बिना, सबसे पहले आहार छोड़ती हैं। इसलिए, लड़कियोंको भोजन उपलब्ध करवाकर, राज्य यह सुनिश्चित कर सकता है कि माताओं के लिए घर में अधिक भोजन बचा रहे। हालाँकि भारत के मध्याह्न भोजन के बारे में ऐसी जांच का कोई ज्ञात अध्ययन नहीं है, ऐसा अध्ययन महिलाओं, शिशुओं और लड़कियोंके लिए अमेरिकी विशेष पूरक पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूआईसी) के संदर्भ में किया गया है। [19,20,21]शोधकर्ताओं ने पाया कि बच्चे जब डब्ल्यूआईसी के लाभों के पात्र नहीं रह जाते हैं, तो उनके पोषणाहार में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि इस कमी की भरपाई उनकी माताओं द्वारा किया जाता है जो परिणामतः कम भोजन खाती हैं (बिटलर एवं अन्य 2022)। शोधकर्ताओं ने समरूपता के लिए अपने परिणाम की तुलना एक अन्य कार्यक्रम के मूल्यांकन के साथ की, जिसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में लड़कियोंवाले पात्र परिवारों को किराने का सामान खरीदने के लिए 60 डॉलर का वाउचर दिया जाता था। उम्मीद के मुताबिक, इस प्रकार के वाउचर से वयस्क खाद्य असुरक्षा में 18.5% की कमी आई (बिटलर एवं अन्य 2022)। इस प्रकार से, इस तरह के खाद्य

सहायता कार्यक्रमों के स्पिलओवर लाभ और दूसरे फायदे परिवार के अन्य सदस्यों को भी मिलते हैं और ये माताओं को पोषण संबंधी कमी से बचा सकते हैं।

मध्याह्न भोजन दिए जाने के पारिवारिक निहितार्थ

सरकारी स्कूलों में लड़कियोंका नामांकन बढ़ रहा है, फिर भी मध्याह्न भोजन के लिए आवश्यक बजट आवंटन में इसके अनुरूप वृद्धि नहीं की गई है। कई स्पिलओवर लाभों और स्कूलों में मध्याह्न भोजन के प्रावधान की आवश्यकता के बारे में भरपूर शोध प्रमाण उपलब्ध होने के बावजूद, सरकार ने मध्याह्न भोजन हेतु बजट को वित्तीय वर्ष 2022-23 के 128 अरब से कम करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 116 अरब रुपये कर दिया। बढ़ती कीमतें इस आवंटन को और अपर्याप्त बना देंगी। इसके कारण निश्चित रूप से मध्याह्न भोजन प्रदान करने वाले स्कूलों द्वारा भोजन की मात्रा और गुणवत्ता में समझौता किए जाने की संभावना है और वह भी एक ऐसे समय में, जब देश किसी भी बच्चे को भूखा नहीं रख सकता और न ही उसे खराब या अपर्याप्त भोजन दिया जा सकता है।

जैसे-जैसे स्कूल इन चुनौतियों का सामना करेंगे, इसके परिणाम लड़कियोंके घरों में प्रतिध्वनित होंगे। माता-पिता जो अभी भी महामारी की चपेट से उबर रहे हैं, उन्हें इस अंतर को भरना होगा और संभवतः अपने पेट को काटकर अपने लड़कियोंको अधिक उपलब्ध कराना होगा। सबसे पहले माताएं ही अपने लड़कियों की खाद्य असुरक्षा के प्रभाव को कम करेंगी। जैसे-जैसे माताओं की कैलोरी और पोषण की मात्रा कम होती जाएगी, एनीमिया और अन्य कमियों की घटनाओं में वृद्धि होती जाएगी। ये कमियां उनके होने वाले लड़कियोंमें भी चली जाएंगी और यह चक्र दोहराता जाएगा, जिससे देश खराब स्वास्थ्य और कुपोषण में फंस जाएगा।[11,12]

यह लेख पहली बार आईजीसी ब्लॉग पर प्रकाशित हुआ था।

1. लड़कियोंमें कुपोषण के कारण लम्बाई के अनुपात में कम वजन कमजोर या वेस्टेड होना, उम्र के अनुसार कम कद अविकसित या स्टंटेड होना और उम्र के अनुसार कम वजन हो सकता है।
2. ज़ेड स्कोर एंथ्रोपोमेट्रिक मूल्यों जैसे कि ऊंचाई या वजन को संदर्भ आबादी के औसत 'मीडियन' मूल्य से नीचे या ऊपर के कई मानक विचलन के रूप में व्यक्त करता है। (मानक विचलन एक ऐसा माप है

जिसका उपयोग उस सेट के औसत से मूल्यों के एक सेट की भिन्नता या फैलाव की मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है)।

आंगनबाड़ियों और स्कूलों में गर्म पौष्टिक भोजन के प्रावधान के कई दस्तावेजी लाभ हैं। वे कुपोषण को कम करते हैं, सीखने के परिणामों में सुधार करते हैं, जब बच्चे एक साथ बैठते हैं और खाते हैं तो जातिगत असमानताओं को चुनौती देते हैं, जब बच्चे हाथ धोते हैं तो स्वच्छता शिक्षा प्रदान करने का एक अवसर बन जाते हैं और कमजोर महिलाओं को मूल्यवान रोजगार प्रदान करते हैं।

मिड-डे मील और आंगनबाड़ियों में अंडे को शामिल करने के कई अतिरिक्त फायदे हैं, जैसा कि प्रोफेसर रीतिका खेड़ा द्वारा तैयार किए गए प्राइमर में बताया गया है : वे पोषण संबंधी सुपरफूड हैं, बेहतर शेल्फ-लाइफ रखते हैं, भ्रष्टाचार की निगरानी करना आसान है, एक हैं ग्रामीण रोजगार का स्रोत, और ग्रामीण लड़कियोंके बीच पसंदीदा हैं।

इसके अलावा, सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से अंडे का प्रावधान पोषण में घरेलू लिंग-पूर्वाग्रह के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जांच के रूप में काम कर सकता है जो अक्सर अंडे, मांस और मिठाई जैसे कभी-कभी खाद्य पदार्थों के लिए मजबूत होता है। अंडे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी पोषण का एक उत्कृष्ट स्रोत हो सकते हैं, जिनमें से कई एनीमिया से पीड़ित हैं।

अंत में, मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ियों में अंडे का प्रावधान यह सुनिश्चित करेगा कि लड़कियां और लड़के इन पौष्टिक खाद्य पदार्थों को समान मात्रा में और एक साथ खाएं, जिससे लड़कियों और महिलाओं के घर में सबसे अंत में और सबसे कम खाने की पितृसत्तात्मक प्रथा खत्म हो जाएगी।[15,16]

पितृसत्तात्मक मानदंडों के कारण न केवल लड़कियों और महिलाओं द्वारा अंडे जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन कम हो जाता है, बल्कि अंडे को महिलाओं की पहुंच से दूर रखने के लिए उन्हें अन्य प्रकार के सामाजिक और जातिगत उत्पीड़न के साथ भी जोड़ दिया जाता है।

उदाहरण के लिए, ग्रामीण उत्तर बिहार में, ब्राह्मणवाद ने सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों की लड़कियों और महिलाओं को अंडे और अन्य स्थानीय रूप

से उपलब्ध मांसाहारी भोजन छोड़ने के लिए मजबूर किया है क्योंकि उन्हें "अशुद्ध" माना जाता है। सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं का यह समूह दूध, दालें, फल या प्रोटीन के अन्य रूप नहीं खा सकता है, और इस प्रकार पोषण का अपर्याप्त सेवन होता है।

भारतीय लड़कियाँ और महिलाएँ दुनिया की सबसे कुपोषित आबादी में से एक हैं: 15-49 आयु वर्ग की आधी से अधिक भारतीय महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं और एक तिहाई से अधिक का बॉडी मास इंडेक्स सामान्य से नीचे है। इनमें से अधिकांश कुपोषित लड़कियाँ और महिलाएँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे घनी आबादी वाले राज्यों में रहती हैं।

ये ऐसे राज्य भी हैं जो धार्मिक और जातिगत भावनाओं के नाम पर लड़कियों और महिलाओं को अंडे नहीं देते हैं। आश्चर्य की बात नहीं है कि तमिलनाडु, एक ऐसा राज्य जो इन सभी राज्यों की तुलना में लिंग और स्वास्थ्य संकेतकों में कहीं बेहतर प्रदर्शन करता है, स्कूलों में अंडे उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य था।

भारत में बच्चों, लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार नहीं किया जा सकता है यदि सरकारें और भारतीय समाज बड़े पैमाने पर धार्मिक, जातिवादी और पितृसत्तात्मक हठधर्मिता के आगे झुकना बंद नहीं करते हैं। साधारण अंडे के सार्वभौमिक प्रावधान के साथ शुरुआत करने से बेहतर स्वस्थ तरीका क्या हो सकता है?

परिणाम

इस योजना का उद्देश्य एक ऐसी अवसंरचना तैयार करना है जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदायों के बालिकाओं को नामांकन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके एवं बीच में पढाई छोड़ कर जाने वाली लड़कियों की संख्या में कमी लाई जा सके एवं यह सुनिश्चित किया जा सके।[16,17]

जयपुर:राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को कहा कि राजस्थान सरकार कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की इच्छुक है और उसने केंद्र से सहायता का अनुरोध किया है।

यहां शिक्षा संकुल में "अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2019" के अवसर पर एक समारोह में बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि

लड़कियों के लिए पोषण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समान रूप से आवश्यक है।

मध्याह्न भोजन योजना के तहत, कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक नामांकित बच्चे को कुछ अधिसूचित पोषण मानकों के साथ गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है।

राज्य सरकार कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को भी मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की इच्छुक है। हम जल्द ही कार्रवाई करना चाहते हैं और केंद्र से सहायता का अनुरोध किया है।"

उन्होंने कहा, "राज्य सरकार लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दे रही है और उनके समग्र विकास के लिए काम कर रही है।"

उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "सभी स्तरों पर निगरानी की जा रही है और हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि लड़कियों को पौष्टिक भोजन मिले। रसोइयों और सहायकों के प्रशिक्षण की भी अलग व्यवस्था की गई है।"

इस अवसर पर मंत्री को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में छात्राओं को दिये जा रहे आत्मरक्षा प्रशिक्षण का प्रदर्शन कराया गया।[17,18]

भारत में पौष्टिक भोजन का घरेलू विभाजन लिंग-पक्षपातपूर्ण बना हुआ है। इस बात के लगातार सबूत हैं कि ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं सबसे आखिर में और सबसे कम खाना खाती हैं। उत्तर बिहार के ग्रामीण इलाकों में एक गुणात्मक अध्ययन में पाया गया कि घर के लड़के और पुरुष हमेशा सबसे पहले खाना खाते थे, उन्हें दालें, अंडे और मांस और मिठाइयाँ जैसे भोजन के बड़े हिस्से मिलने की अधिक संभावना थी, और उनके अपने खाने की भी अधिक संभावना थी। अलग प्लेटें.

दूसरी ओर, लड़कियाँ और महिलाएँ हमेशा पुरुषों के बाद खाती थीं, बचा हुआ हिस्सा ले लेती थीं और अक्सर लड़कियों या अन्य महिलाओं के साथ प्लेटें साझा करती थीं, जिससे कुल मिलाकर कम भोजन करना पड़ता था।

अन्य सर्वेक्षण अनुसंधान में भी इसी तरह के निष्कर्ष बताए गए हैं। SARI सर्वेक्षण और भारत मानव विकास सर्वेक्षण में पाया गया कि 40-60% ग्रामीण महिलाओं ने

बताया कि उनके घरों में पुरुष पहले खाना खाते हैं। राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नवीनतम दौर में पाया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर, पुरुषों में दूध, दही और फल खाने की अधिक संभावना है, और महिलाओं की तुलना में मांस, मछली और अंडे खाने से परहेज करने की संभावना कम है।

घर के बाहर लिंग-समान पोषण

पोषण की लगातार असमानता को देखते हुए, घर के बाहर के हस्तक्षेप उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि भीतर से लिंग-पूर्वाग्रह को बदलना। सरकार द्वारा संचालित आंगनबाड़ियों और स्कूलों में बच्चों, छात्रों, किशोर लड़कियों और गर्भवती महिलाओं को गर्म पका हुआ मध्याह्न भोजन, पौष्टिक भोजन और घर ले जाने वाले राशन का प्रावधान भारत के ग्रामीण हिस्सों में लड़कियों और महिलाओं के लिए पोषण संबंधी सहायता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। [18,19,20]

इन कार्यक्रमों में लड़कियों और महिलाओं को दिया जाने वाला खाना आधिकारिक तौर पर उनका होता है, जिसे वे बिना किसी चिंता या अपराधबोध के खा सकती हैं। उन्हें भोजन के बदले में आवश्यक रूप से उत्पादक और प्रजनन श्रम करने की ज़रूरत नहीं है, एक ऐसा लेन-देन जो श्रम के लिंग विभाजन और घर के भीतर भोजन तक पहुंच में गहराई से निहित है। सरकारी कार्यक्रमों द्वारा प्रदान की जाने वाली घर के बाहर पोषण तक पहुंच और स्वतंत्रता, अधिकांश उपायों से, लैंगिक समानता की दिशा में एक ठोस कदम है।

अंडे और समानता

हालाँकि, बच्चों, लड़कियों और महिलाओं जैसी हाशिए की आबादी के लिए समान पोषण सहायता में सुधार के प्रयासों को मजबूत करने के बजाय, भारत के कुछ राज्य और हाल ही में छत्तीसगढ़, आंगनबाड़ियों और मध्याह्न भोजन में अंडे के प्रावधान पर विवाद को लेकर उबल रहे हैं।

निष्कर्ष

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने पोषण कार्यक्रम के लाभों को अन्य वर्गों तक फैलाने में मदद करने के लिए आठवीं कक्षा से ऊपर की कक्षाओं की लड़कियों तक मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार करने की योजना बनाई है। सरकारी अधिकारियों ने टीओआई को बताया कि आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए परियोजना के लिए उच्च कक्षाओं की

लड़कियों पर विशेष रूप से विचार किया जा रहा है क्योंकि वास्तव में, वे वंचित पृष्ठभूमि से हैं और कुपोषित हैं। "हमारे पास कई छात्राएं हैं जो विशेष रूप से मध्याह्न भोजन के लिए शिक्षकों से पूछती हैं। सरकारी स्कूलों में आने वाले कई लड़कियों के साथ भेदभाव होता है और वे कुपोषित होते हैं। कुछ वंचित पृष्ठभूमि से भी आते हैं, और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना [20,21] उनके लिए अच्छा होगा," आप की वरिष्ठ नेता आतिशी मार्लेना ने कहा। यह पहल कुछ दिन पहले देवली के एक स्कूल में परोसे गए मध्याह्न भोजन में दो मरे हुए चूहे मिलने के बाद शुरू की गई है। हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी घटनाएँ दोबारा न हों, सरकार एक ऐप पेश करना चाहती है जो तस्वीरें अपलोड करने की अनुमति देगा, जिसे ट्रैक किया जा सकता है और विक्रेताओं पर कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने कहा कि ऐप का विकास प्रगति पर है और उम्मीद है कि यह जल्द ही रिलीज के लिए तैयार हो जाएगा।

मिड डे मील लड़कियों से जुड़ी हुई योजना है जिसका मकसद लड़कियों को अच्छा भोजन मुहैया करवाना है और इस स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार हैं-

लड़कियों का बेहतर विकास हो

आज भी हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो कि अपने परिवार को दो वक्त का खाना देने में असमर्थ हैं, जिसके कारण इन परिवार से नाता रखने वाले छोटे लड़कियों का मानसिक विकास पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब लड़कियों को मिड डे मील के जरिए पोषक भोजन उपलब्ध करती हैं ताकि उनका अच्छे से विकास हो सके।

ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल आ सकें

जो दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य मिड डे मील का है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इस स्कीम के जरिए लड़कियों को खाना उपलब्ध करवाया जाता है और ऐसा होने से कई गरीब परिवार ने अपने लड़कियों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया है।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लड़कियों को खाना मुहैया करवाना

इस स्कीम के तहत जिस दिन भी स्कूल खुले रहते हैं, उस दिन लड़कियों को भोजना करवाना अनिवार्य होता है। वहीं गर्मी की छुट्टियों में स्कूल बंद होने के कारण लड़कियों को भोजन नहीं मिल पाता है। लेकिन साल 2004 में सरकार ने गर्मी की छुट्टियों के दिन भी इस स्कीम को सूखा

प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों में चलाए रखने का आदेश दिए थे, जिसके बाद से इन इलाकों के लड़कियोंको गर्मियों की छुट्टियों में भी भोजन दिया जाता था।

मिड डे मील योजना मंत्रालय

मिड डे मील स्कीम को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा हमारे देश में चलाया जाता है और इस मंत्रालय द्वारा ही इस स्कीम से जुड़ी गाइडलाइंस बनाई गई है। साथ ही इस मंत्रालय द्वारा कई ऐसी कमेटी में बनाई गई हैं जो कि इस स्कीम को और बेहतर बनाने के कार्य करती हैं।

हर राज्य में बनाई गई हैं कमेटी (Committee)

मिड डे मील स्कीम को लेकर किसी तरह का घोटाला और लापरवाही ना बरती जाए। इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कई कमेटी का गठन किया है। जिनमें से कुछ कमेटी नेशनल लेवल पर इस स्कीम पर निगरानी रखती है, जबकि कुछ स्टेट, जिला, नगर, ब्लॉक, गाँव और स्कूल लेवल पर इस स्कीम के कार्य को देखती है और ये सुनिश्चित करती है कि देश के हर स्कूल में सही तरह का खाना लड़कियोंको दिया जाए।

नेशनल लेवल केमटी

नेशनल लेवल पर अधिकारित समिति, राष्ट्रीय स्तर की स्टीयरिंग-सह-निगरानी समिति (एनएसएमसी) और कार्यक्रम स्वीकृति बोर्ड (पीएबी) इस स्कीम की मॉनीटर करता है और ये कमेटी सीधे तौर पर मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा हेड की जाती हैं।

स्टेट लेवल

स्टेट लेवल पर राज्य स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति इस स्कीम पर निगरानी रखती है और ये केमटी राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्य करती है।

जिला स्तर

हर राज्य के प्रत्येक जिले में भी एक कमेटी का गठन इस स्कीम की निगरानी करने के लिए किया गया है। हर जिले की जिला स्तर समिति ये सुनिश्चित करती है कि उनके जिला स्तर के अंदर अपने वाले सभी लाभान्वित स्कूलों में लड़कियोंको इस स्कीम के तहत अच्छा खाना दिया जाए। जिला स्तर समिति की अध्यक्ष लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य द्वारा की जाती हैं।

स्थानीय स्तर पर

स्थानीय स्तर पर गांव शिक्षा समितियों (वीईसी), अभिभावक-शिक्षक संघ (पीटीए), स्कूल प्रबंधन समितियों

(एसएमसी) के सदस्य, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के लोग, नियमित रूप से इस स्कीम के कार्यों को देखते हैं। [21]

संदर्भ

- [1] चेट्टीपराम्बिल-राजन, एंजेलिक (जुलाई 2007)। "भारत: मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की एक डेस्क समीक्षा" (पीडीएफ)। विश्व खाद्य कार्यक्रम. 20 अक्टूबर 2013 को मूल (पीडीएफ)से संग्रहीत। 28 जुलाई 2013को लिया गया।
- [2] "पोषण अभियान - जन आंदोलन"/ poshanabhyaan.gov.in/ 24 मार्च 2023 को लिया गया /
- [3] "मध्याह्न भोजन योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न"(पीडीएफ)। mdm.nic.in (मध्याह्न भोजन योजना, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)। मूल(पीडीएफ)21 अक्टूबर 2013 को संग्रहीत। 24 जून 2014को लिया गया।
- [4] "मध्याह्न भोजन योजना के बारे में"। mdm.nic.in (मध्याह्न भोजन योजना, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)। 28 जुलाई 2013को लिया गया।
- [5] "मिड डे मील पुडुचेरी"/ mdm.py.gov.in | 13 अक्टूबर 2021 को लिया गया /
- [6] ऊपर जायें: ^ए बी "स्कूल मध्याह्न भोजन - भोजन का अधिकार अभियान"। www.righttofoodcampaign.in। 13 अक्टूबर 2021को लिया गया।
- [7] "मध्याह्न भोजन योजना को अब पीएम पोषण कहा जाएगा, इसमें प्री-प्राइमरी कक्षाओं के छात्रों को भी शामिल किया जाएगा - टाइम्स ऑफ इंडिया"/ टाइम्स ऑफ इंडिया/ 29 सितंबर 2021/ 13 अक्टूबर 2021 को लिया गया /
- [8] "केंद्र ने 24 लाख प्री-प्राइमरी छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार किया"/ द हिंदू/ 29 सितंबर 2021। आईएसएसएन 0971-751X/ 13 अक्टूबर 2021 को लिया गया /
- [9] "बाल अधिकारों पर कन्वेंशन"/ ohchr.org (मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय)।

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार।/ संयुक्त राष्ट्र। 20 नवंबर 1989/ 28 जुलाई 2013 को लिया गया।
- [10] "भारत और संयुक्त राष्ट्र - मानवाधिकार"/ www.un.int (संयुक्त राष्ट्र स्थायी मिशन)/ 2 मई 2010 को मूल से संग्रहीत/ 28 जुलाई 2013 को लिया गया।
- [11] स्वामीनाथन, पद्मिनी; जयरंजन, जे.; श्रीनिवासन, आर.; जयश्री, के. (2004). "तमिलनाडु की मध्याह्न भोजन योजना: जहां अनुमानित लाभ कठिन डेटा से अधिक है"/ आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक/ 39 (44): 4811-4821। आईएसएसएन 0012-9976. जेएसटीओआर 4415741/
- [12] "मध्याह्न भोजन कार्यक्रम"। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान। 2009. 28 जुलाई 2013 को लिया गया।
- [13] सुब्रमण्यम, के. (22 दिसंबर 2022)। "जब एमजीआर ने दूरदर्शी योजना पर मनमोहन को गलत साबित कर दिया"/ द हिंदू/ आईएसएसएन 0971-751X. 26 दिसंबर 2022 को लिया गया/
- [14] "तमिलनाडु: मिडडे मन्ना"/ इंडिया टुडे आर्काइव. 15 नवंबर 1982. 29 जनवरी 2016 को लिया गया/
- [15] "वार्षिक कार्य योजना और बजट 2010-11, मध्याह्न भोजन योजना, गुजरात राज्य" (पीडीएफ)/ गुजरात सरकार. 4 जून 2015 को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत/ 24 जून 2014 को लिया गया/
- [16] "मूल्यांकन नोट: राज्य: केरल" (पीडीएफ)/ भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 15 सितंबर 2014 को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत/ 24 जून 2014 को लिया गया/
- [17] "मिड डे मील" (पीडीएफ)/ प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार/ 24 जून 2014 को लिया गया/
- [18] चंद्रा, मेघना (24 जून 2010)। "कक्षा के बाहर पाठ"/ द हिंदू/ 23 मार्च 2016 को लिया गया/
- [19] गर्ग, मनीषा; मंडल, कल्याण शंकर (27 जुलाई 2013)। "गरीबों के लिए मध्याह्न भोजन, गैर-गरीबों के लिए निजीकृत शिक्षा"/ आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक/ 48 (30): 155. 28 जुलाई 2013 को लिया गया।
- [20] "राष्ट्रीय संचालन और निगरानी समिति की बैठक की 5वीं बैठक का एजेंडा नोट" (पीडीएफ)/ Mdm.nic.in. 16 मार्च 2016 को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत/ 26 जुलाई 2013 को लिया गया।
- [21] डॉ. एनसी सक्सेना। "आयुक्तों की छठी रिपोर्ट" (पीडीएफ)/ 4 मार्च 2016 को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत/ 28 जुलाई 2013 को लिया गया।